

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख जुलाई, 2017

शुद्धिपत्र

सा.का.वन. (अ).— भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.वन. 667(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अवधसूचना सं. 2/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 में,-

- (i) पृष्ठ 135 की पंक्ति 5 में “शुष्कित फलीदार वनस्पति, कवच युक्त, चाहे त्वचा रहित या विपाटित हैं अथवा नहीं” के स्थान पर “शुष्कित फलीदार वनस्पति, कवच युक्त, चाहे त्वचा रहित या विपाटित हैं अथवा नहीं [उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिनका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]” पढ़ें ;
- (ii) पृष्ठ 139 की पंक्ति 11 में से “ [प्रस्तावित जी.एस.टी. शून्य]” का लोप करें। ।

[फा.सं. 354/117/2017-टीआरयू भाग]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार